# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 83 / 2018 अपील

| | |
|---|---|
| श्री गोमा पुत्र नारायण बंजारा निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा –अपीलार्थी | बनाम राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार ढीकोला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा –रेस्पोडेण्ट |

**अपील विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार ढीकोला तहसील शाहपुरा निर्णय दिनांक 29.10.2018**

उपस्थित –

श्री हंसराज यादव अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से

श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

## निर्णय

दिनांक 25.04.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार ढीकोला प्रकरण सं0 85 / 2018 निर्णय दिनांक 29.10.2018 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हल्का पटवारी ढीकोला ने नायब तहसीलदार ढीकोला को अपीलार्थी के विरूद्व रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ढीकोला मे स्थित सरकारी भूमि खसरा नं. 5649 / 370, 673 रकबा 0.42 हैक्ट. किस्म बंजड़ भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर संवत् 2075 के दौरान जिंस तिल, ज्वार काश्त कर अतिक्रमण किया है जिससे अपीलार्थी के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जावे। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्व दिनांक 29.10.2018 को निर्णय पारित किया जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट एक भूमिहीन काश्तकार है और उसके पास कोई काश्त योग्य भूमि नही है। अपीलाण्ट उक्त भूमि पर विगत 30 वर्षों से काबिज होकर काश्त कर रहा है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त आराजी को अपीलार्थी के पक्ष में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

नियमानुसार नियमन करने का निवेदन किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज कर उक्त निर्णय पारित किया जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा अतिचार की गयी भूमि का कब्जा छोड दिया है और अब भविष्य में अतिचार नही करेगा। अतः निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.10.2018 को निरस्त किये जाने की कृपा करावें।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 03.12.2018 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड़ तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड की प्रमाणित फोटोप्रति प्रेषित की गयी।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट एक भूमिहीन काश्तकार है और उसके पास कोई काश्त योग्य भूमि नही है। अपीलाण्ट उक्त भूमि पर विगत 30 वर्षों से काबिज होकर काश्त कर रहा है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त आराजी को अपीलार्थी के पक्ष में नियमानुसार नियमन करने का निवेदन किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज कर उक्त निर्णय पारित किया जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा अतिचार की गयी भूमि का कब्जा छोड दिया है और अब भविष्य में अतिचार नही करेगा। निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.10.2018 को निरस्त किये जाने की कृपा करावें।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि गोमा पिता नारायण बंजारा निवासी ढीकोला के द्वारा ग्राम ढीकोला के आराजी नं. 5649/370, 673 रकबा 0.42 हैक्ट. भूमि किस्म बंजड़ पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नायब तहसीलदार ढीकोला द्वारा प्रकरण सं. 85/2018 दर्ज कर धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर गोमा पिता नारायण बंजारा द्वारा पश्चातवर्ती अतिचार करने के कारण 03 माह के सिविल कारावास एवं शास्ति 50/-रू. से दिनांक 29.10.2018 को दण्डित किया गया है जो नियमानुसार है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर नायब

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

तहसीलदार ढीकोला का निर्णय यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम ढीकोला तहसील शाहपुरा के आराजी नं. 5649/370, 673 रकबा 0.42 हैक्ट. भूमि राजस्व रिकार्ड में किस्म बंजड़ दर्ज रिकार्ड है। नायब तहसीलदार ढीकोला के निर्णय अनुसार अतिक्रमी का उक्त आराजी नं. 5649/370, 673 रकबा 0.42 हैक्ट. भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने से 03 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया हैं एवं 50/– शास्ति आरोपित की गयी । अतिक्रमी की देखा देखी कर अन्य व्यक्ति भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के प्रयासरत है ।

अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार ढीकोला द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आराजी नं0 5649/370, 673 रकबा 0.42 हैक्ट. भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण से बेदखल किये जाने के साथ साथ 03 माह के सिविल कारावास की सजा भुगताए जाने व उक्त भूमि के वार्षिक लगान का 50 गुणा आर्थिक जुर्माना कुल 50/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश भी पारित किया गया था। नियत पेशी दिनांक को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी हुआ और उसके द्वारा विवादग्रस्त आराजी पर अपना अतिक्रमण भी स्वीकार किया है। जिससे स्पष्ट हैं कि अपीलान्ट के द्वारा उक्त चरनोट भूमि पर अनाधिकृत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का अपराध किया है।

ग्राम ढीकोला तहसील शाहपुरा के आराजी नं. 5649/370, 673 रकबा 0.42 हैक्ट. किस्म बंजड़ पर अपीलार्थी का अतिक्रमण होने से अपीलार्थी को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश से दण्डित करते हुए शास्ति का आरोपण किया जाकर 03 माह के सिविल कारावास की सजा से व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का जो आदेश पारित किया गया हैं वह युक्तियुक्त होकर विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसमे कोई

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

त्रुटि नहीं की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाने योग्य हैं एवं अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है। अतएव–

## आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार ढीकोला बमामले प्रकरण सं0 85/2018 निर्णय दिनांक 29.10.2018 के कम में खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.10.2018 यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार ढीकोला को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा (राज.)